समाहरणालय – धनबाद
जिला भू–अर्जन शाखा

अधिसूचना संख्या– 955 /भू.अर्जन, धनबाद , दिनांक– 9/11/ /2017

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत गोबिन्दपुर एन.एच. 2 से महुदा मोड़ (भाया श्रमिक चौक–बैंक मोड़) पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत गोबिन्दपुर, धनबाद एवं बाघमारा में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु M/s. CRADLE, Ranchi को एस0आई0ए0 दल के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतः गोबिन्दपुर एन.एच. 2 से महुदा मोड़ (भाया श्रमिक चौक–बैंक मोड़) पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु कुल रक्बा 99.825 एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है ।

1– परियोजना का नाम :–
गोबिन्दपुर एन.एच. 2 से महुदा मोड़ (भाया श्रमिक चौक–बैंक मोड़) पथ चौड़ीकरण परियोजना ।

2– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी

गोबिन्दपुर एन.एच. 2 से महुदा मोड़ (भाया श्रमिक चौक–बैंक मोड़) पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना संख्या	प्लोट की कुल संख्या	अधियाचित रकबा (एकड़ में)
1	गोबिन्दपुर	गोसाईडीह	127	3	0.015
2	गोबिन्दपुर	कंगालो	128	3	0.170
3	गोबिन्दपुर	जियालगड़ा	129	2	0.080
4	गोबिन्दपुर	अमरपुर	165	14	0.325
5	गोबिन्दपुर	चटि गोबिन्दपुर	167	15	0.200
6	गोबिन्दपुर	गाईडहरा	168	18	0.485
7	गोबिन्दपुर	तिलकरायडीह	169	40	1.260
8	गोबिन्दपुर	आमाघाटा	170	13	1.060
9	धनबाद	सरायढेला	8	53	0.800
10	धनबाद	हिरापुर	7	16	2.190
11	धनबाद	धनबाद	51	10	0.870
12	धनबाद	धनबाद	51	2	0.050
13	धनबाद	गोधर	57	69	5.210
14	धनबाद	केन्दुआडीह	63	3	1.140
15	धनबाद	करकेन्द	73	14	1.930
16	धनबाद	परसियां	84	112	10.260
17	बाघमारा	गनशाडी	62	6	0.280
18	बाघमारा	बासुंदेवपुर	64	1	0.670
19	बाघमारा	बड़ोपुटकी	78	3	0.870
20	बाघमारा	छोटा पुटकी	79	7	0.430

21	बाघमारा	सियालगुदड़ी	81	31	2.610
22	बाघमारा	धनडाबर	82	34	2.300
23	बाघमारा	चिरूडीह	83	36	4.420
24	बाघमारा	राधानगर	303	47	5.100
25	बाघमारा	भुरूगिया	315	87	7.010
26	बाघमारा	कांडरा	324	48	3.280
27	बाघमारा	मुचीरायडीह	331	24	3.840
28	बाघमारा	मछियारा	332	20	4.21
29	बाघमारा	हटुडी	333	1	0.680
30	बाघमारा	पादुगोडा	345	7	4.05
31	बाघमारा	पाण्डेडीह	346	13	4.1400
32	बाघमारा	सिंगड़ा	347	20	6.910
33	बाघमारा	बांधडी	348	100	12.630
34	बाघमारा	कपुरिया	349	95	10.350

1– गोबिन्दपुर अंचल – रक्वा – 3.595 एकड़ प्लाटों की संख्या – 108
2– धनबाद अंचल – रक्वा –22.450 एकड़ प्लाटों की संख्या – 279
3– बाघमारा अंचल – रक्वा –73.780 एकड़ प्लाटों की संख्या – 580
4– कुल रक्बा 99.825 एकड़ कुल प्लाटों की सं0 967

3– एस0आई0ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य कियाकलाप निम्न प्रकार होगी :–

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) दल को झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के अध्याय–III के नियम–10 के अन्तर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी , मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :–

(क) प्रस्तावित परियोजना जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी ।

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु–फसली भूमि है, और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्य संकांत पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लांट के लिए उपयोग नियम हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनकि अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है,

(ज) भूमि की प्रकृति , भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है, तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

(त्र) घृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि–वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसम्पतियों,

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग,

इसी प्रकिया के साथ साथ रैयतों के भू–अर्जन के प्रस्ताव विमर्श की कार्रवाई की जानी है ।

4– एस0आई0ए0 के लिए टाईमलाईन निम्न प्रकार होगी :–

(क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना,
(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को सूचीबद्व करना,

(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन एवं एस0आई0एम0पी0 पर रैयतों की सुनवाई ,

(घ) एस0आई0ए0 एवं एस0आई0एम0पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना,

(ड़) एस0आई0ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन,

कंडिका–4 (क) से (ड़) पर अंकित कार्यो का निष्पादन कार्यादेश प्राप्ति से 84 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगें । उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी,

5– इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

8/11/17
उपायुक्त, धनबाद

ज्ञापांक– 955/भू0अर्जन, धनबाद / दिनांक 9/11/2017

प्रतिलिपि :–

अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद / अंचल अधिकारी, धनबाद, गोबिन्दपुर, एवं बाघमारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुं प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारन की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुंनिश्चित करेंगें ।

अपर जिला दंडधिकारी (विधि व्यवस्था) सह वेब मैनेजरधनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुं प्रेषित । अनुरोध है कि सर्वसाधारन की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना एन0आई0सी0, धनबाद के वेब–साईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय ।

8/11/17
उपायुक्त, धनबाद